\

कार्यालय अंचल अधिकारी, बुढ़मू (राँची)

आदेश–फलक

अनुसूची.......फॉम सं0–........... (देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रांक ....तारीख 20/05/21 से 07/09/21 तक ....जिला राँची

केस का प्रकारः– Mis Rev Case वाद संख्या– 01/2021-22

आदेश और तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3
20/05/21	इस वाद की कार्यवाही ज्योतिन्द्र प्रसाद, पिता– स्व॰ बलराम साहु, निवासी ग्राम– आरा, थाना– बुढ़मू, जिला– राँची के दिये आवेदन से प्रारंभ हुई। आवेदक ने अंचल कार्यालय, बुढ़मू में आवेदन देकर अंचल–बुढ़मू अन्तर्गत मौजा– आरा के खाता सं॰– 10, प्लॉट सं॰– 25, 51, 251, 389, 40, 276, रकबा– 2.58 एकड़ भूमि, खाता सं॰– 25 के अन्तर्गत प्लॉट सं॰– 54, 60, 53, 59, 61 कुल रकबा– 2. 67 एकड़ भूमि एवं खाता सं॰– 28 के अन्तर्गत प्लॉट सं॰– 636, रकबा– 86 डीसमील भूमि पर अपना मालिकाना हक का दावा करते हुए विपक्षी नरेन्द्र प्रसाद, पिता– स्व॰ अनन्त साहु, अनिल प्रसाद, पिता– स्व॰ राधागोविन्द साहु, किस्टो प्रसाद, पिता– स्व॰ सकल प्रसाद साहु, रिंकु प्रसाद, पिता– स्व॰ शिव प्रसाद साहु वगैरह सभी निवासी ग्राम– आरा, थाना बुढ़मू, जिला– राँची का भूमि से कब्जा हटवाने का आग्रह किया है। उभय पक्ष को नोटिस जारी करें। अभिलेख दिनांक– 28.05.2021 को रखें। (ह॰) 20/05/21 अंचल अधिकारी, बुढ़मू राँची।	
28/05/21	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित हैं। परन्तु कोई दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया है। अभिलेख दिनांक– 29.06.2021 को उपस्थापित करें। (ह॰) 28/05/21 अंचल अधिकारी, बुढ़मू राँची।	

Scanned with CamSca

29|06|21

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं तामिला प्राप्त हुआ है। उभय पक्ष उपस्थि हैं। प्रथम पक्ष (आवेदक) ने अपना लिखित पक्ष रखा है। एवं अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं–

(1) खतियान की छायाप्रति।

(2) रसीद की छायाप्रति।

(3) ऑनलाईन पंजी ॥ की छायाप्रति।

(4) दाखिल–खारिज वाद सं.– 168R27/2012–13 के अंचल अधिकारी, बुढ़मू के आदेश की छाया प्रति एवं शुद्धि–पत्र की छायाप्रति।

प्रथम पक्ष ने अपने लिखित पक्ष रखते हुए कहा है कि–

निवेदन यह कि मै ग्राम– आरा, पो.– चकमे, प्र.– बुढ़मू, थाना नं.– 68 का निवासी हूँ।

1. खाता सं.– 10 प्लॉट सं.– 25, 51, 251, 389, 40, 276, रकबा– 2.58 डी. बलराम साहु पिता डेगनारायण साहु के नाम से खतियान रेगुलर खतीयान पंजी ॥ में दर्ज है। और रसीद भी कट रहा है। रेगुलर खतीयान में विपक्षों ने रकबा और प्लॉट को काट–कुट, छेड़–छाड़ किया है जिसका सुधार के लिए हमने दिनांक– 3.4.21 को अंचल में आवेदन दे चुका हुँ जिसका इंट्री नं. 224 है।
2. खाता सं.– 10 प्लॉट सं.– 51, रकबा– 38 डीसमील खतियान के आनुसार 1 बैल, लकड़ी बकब्जे संकर साहु मालिक फल बकब्जे कुल मौजा, जबकि खेवट नं. 3/6 में संकर साहु नहीं है। विपक्षी ने समीलात मालिक बताया है। विपक्षी के अनुसार यहाँ पर मेल नहीं खा रहा है।
3. खाता सं.– 10 प्लॉट सं.– 389 रकबा– 65 डीसमील खतियान के अनुसार आम 15, कुल हक बकब्जे नीज, 1 पीपल लकड़ व लाह बकब्जे नीज, बर 1, बकब्जे संकर साहु मालिक (महोदय इस प्लॉट में निज शब्द का प्रयोग दो बार किया गया है निज किसकी ओर संकेत किया है और यहाँ पर फल को भी निज की ओर संकेत किया है। इस प्लॉट में 15 आम फल को कुल मौजा नहीं लिखा गया है। यानि फल भी नीज में है)
   इसी प्लॉट पर रेगुलर खतियान में जमीन को बिहार सरकार मे कर दिया गया है, नागेन्द्र प्रसाद ने बाँस लगा दिया है, और सामुदायिक भवन भी बना दिया है, महोदय से निवेदन है कि नरेन्द्र प्रसाद पिता अनन्त साहु की कबजवारी से हटाया जाए।
4. खाता सं.– 10 प्लॉट सं.– 40 रकबा– 56 डीसमील के अनुसार 1 केन्द्र, कुल हक बकब्जे नीज फल बकब्जे कुल मौजा, पारश 6, लकड़ी व लाह बकब्जे निज इस प्लॉट में दो बार नीज शब्द का प्रयोग किया गया है लाह को भी निज में दिया गया है कन्द, फल को कुल मौजा में है।

Scanned with CamSca

5. खाता सं.– 10 प्लॉट सं.– 276 रकबा– 29 डीसमील खतियान के अनुसार करंज 49 कुल हक बकब्जे नीज, आम 6, कुल हक बकब्जे संकर साहु मालिक।

विपक्षी के अनुसार खेवट नं.– 3/6 में संकर साहु नहीं आते है और आम फल समेत शंकर साहु को दिया गया है। आम फल को कुल मौजा नहीं दिया गया है, करंज पेड़ और फल समेत नीज को दिया गया है।

6. खाता सं.– 25, प्लॉट सं.– 54, 60, 53, 59, और 61 कुल प्लॉट 5 कुल रकबा– 2.67 डीसमील जो सुखसागर साहु पिता ढेगनारायण साहु के नाम से रेगुलर खतियान में दर्ज है, इस प्लॉट के खेवट नं.– 3/8 है।

7. खाता सं.– 25, प्लॉट सं.– 61 रकबा– 41 डीसमील खतियान के अनुसार आम 4, कुल हक बकब्जे शंकर साहु मालिक, आम दो, कुल हक बकब्जे जगरनाथ साहु मालिक इस प्लॉट में स्कुल बना दिया है, इस जमीन को सुखसागर साहु ने स्कुल में नाम पर नहीं लिखा है।

8. खाता सं.– 25, प्लॉट सं.– 61 रकबा– 27 डीसमील खतियान के अनुसार आम 1, कुल हक बकब्जे सम्मिलात मालिक, खेवट नं.– 3/8, आम 1, कुल हक बकब्जे शंकर साहु मालिक

इस प्लॉट में नरेन्द्र साहु ने दखल करते हुए बालदेव साहु वगैरह के नाम पर 22 डीसमील रजिस्टर II में दर्ज कर 04 डीसमील करे रामकिशोर साहु पिता सकल प्रसाद साहु के पास बिक्री कर दिया है। हमने R.T.I कर के माँगा कि राम किशोर साहु और बलदेव साहु के नाम से किस–किस दस्तावेज के आधार पर रसीद कटता है उस संम्पूर्ण दस्तावेज से अवगत करावें।

महोदय मुझे पत्रांक सं0– 280(II) दिनांक– 19.08.20 को जवाब मिला आवेदक खाता सं0– 25 रकबा– 22 और 04 डी0 का दाखिल–खारिज का नकल निकाल कर जानकारी प्राप्त कर सकते है। हमने दाखिल–खारिज का नकल के लिए दिनांक– 12.06.2021 को आवेदन किया किशोर साहु के नाम से बिक्री जमीन खाता सं0– 25 रकबा– 22 डी0 का केश नंम्बर नहीं मिल रहा है। जो रजिस्टर II में बालदेव साहु के नाम पर है हमने इस 22 डी0 जमीन का केश नं. से अवगत कराने की कृपा करेंगें।

9. अगला अंचलाधिकारी के समय खाता सं.– 25 रकबा– 3 डी. को लेकर कोर्ट हुआ था उस समय हमने केवल रसीद के आधार पर आवेदन किया था, आवेदन उस समय हमने खतियान और रेगुलर खतियान नहीं देखा था।

10. खाता सं.– 28, प्लॉट सं.– 636 रकबा– 86 डीसमील मेरे पिता के नाम से रसीद कटता है।

अतः श्रीमान् से आशा करता हुँ कि मेरे आवेदन पर मुझे न्याय देने की कृपा करेगे इस कृपा हेतु मै आपका सदा आभारी बना रहुँगा। पूर्व

Scanned with CamSca

आवेदन के समय हमने खतियान, रसीद जमा किया है। यह आवेदन 4 पेज में है।

द्वितीय पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं–

(1) लिखित आवेदन

(2) खाता सं. 10 के खतियान की छायाप्रति।

(3) खाता सं. 25 के खतियान की छायाप्रति।

(4) ऑनलाईन पंजी ॥ की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष को कहना है कि ग्राम– आरा, थाना सं.– 68 हल्का नं. 8 के खेवट 3/6 के खाता नं.– 10 के कुल रकबा– 2.58 डीसमील

खेवट नं.	खाता सं.	प्लॉट सं.	रकबा
3/6	10	251	0.10
	10	25	0.60
	10	51	0.38
	10	40	0.56
	10	276	0.29
	10	389	0.65

बालिका उच्च विद्यालय के नाम रजिस्ट्री

उक्त भूमि खतियानी रैयत का विवरण खेवट 3/6 में नाम 1. जगरनाथ साहु, 2. काशीनाथ साहु, 3. डेगनारायण साहु, 4. शिवनारायण साहु, 5. सीताराम साहु पिता स्व. कमरू साहु के नाम से हैं और खतियानी रैयत सम्मिलात मालिक है। उस वक्त भूमि पर वाई हिस्सा बराबर बराबर है और उनके वशंज के लगभग 30 परिवार का दखल कब्जा निरंतर और वर्तमान में भी है।

जबकि ज्योतिन्द्र प्रसाद पिता– स्व. बलराम साहु उक्त खाता के सभी प्लॉट के कुल रकबा में 1. सुखसागर साहु, 2. बलराम साहु, 3. विशेश्वर साहु पिता डेगनारायण साहु का भी पाँच हिस्सा में एक हिस्सा का रैयत मालिक है। उक्त खाता के हर प्लॉट के रकबा में पाँचवा हिस्सा में एक का ही हकदार बनता है।

परन्तु जब अंचल कार्यालय द्वारा ऑनलाईन हो रहा था उस समय अंचल कार्यालय के कुशल नाथ महतो कर्मचारी द्वारा पंजी ॥ में खाता प्लॉट को अंकित करके ऑनलाईन में गलती से चढ़ा दिया गया है। ऑनलाईन से हटाने हेतु दो माह पूर्व आवेदन कार्यालय में हमलोगो द्वारा जमा किया गया है। इस खाता प्लॉट को पंजी ॥ से जाँच करके ऑनलाईन से यथाशीघ्र हटाया जाए।

खाता सं.– 10 का प्लॉट नं.– 389 का कुल रकबा 0.65 डी. को राज्यपाल के नाम बालिका उच्च विद्यालय चकमे को 1. द्वारिका साहु, पिता जगरनाथ साहु, 2. हरिराम साहु, काशीनाथ साहु, 3. सुखसागर साहु पिता डेगनारायण साहु, 4. रघुनन्दन साहु,

Scanned with CamSca

शिवनारायण साहु, 5. स्व. बलदेव साहु, पिता सीताराम साहु ने 1982 में विद्यालय के नाम से रजिस्ट्री पट्टा कर दिया गया और विद्यालय के नाम से लगान रसीद निरंतर पंजी ॥ में और ऑनलाईन में जारी है। विद्यालय के दखल कब्जा में है।

अतः श्रीमन् से सादर निवेदन है कि खाता सं.– 10 के सभी प्लॉट का कुल रकबा 2.58 डीसमील जो ऑनलाईन में गलती से बलराम साहु के नाम पर चढ़ गया है उस पर जाँच करते हुए यथाशीघ्र हटाने का कृपा प्रदान करें।

खाता संख्या 25 के संबंध में :–

खेवट 3/8 खाता नं. 25 का कुल रकबा 2.67 है। खाता सं. 25 का खतियानी रैयत स्व. शंकर साहु पिता अन्दु साहु वो जगरनाथ साहु, काशीनाथ साहु, डेगनारायण साहु, शिवनारायण साहु, सीताराम साहु पिता कमल साहु है। खतियानी मालिक में सम्मिलात मालिक है, उक्त खाता प्लॉट का कुल रकबा 2.67 डी. में पूवजों के वंशजों का हिस्सा बराबर बराबर है, और पूर्वजों द्वारा आम का बगीचा लगा हुआ है। अभी भी वर्तमान में आम का पेड़ लगा हुआ है।

खेवट नं.	खाता सं.	प्लॉट सं.	रकबा
3/8	25	54	1.15
	25	60	0.41
	25	53	0.62
	25	59	0.22
	25	61	0.27

खाता नं.– 25 प्लॉट नं. 60 रकबा– 0.41 डी. को जयराम साहु पिता शंकर साहु ने प्रथमिक विद्यालय आरा को राज्यपाल विहार सरकार के नाम से डीड किया गया है और वर्तमान में विद्यालय भवन बना हुआ है विद्यालय के नाम से लगान रसीद जारी है।

खाता नं.– 25 प्लॉट नं. 61 रकबा– 0.27 डी. में स्व. बलदेव साहु वो अनन्त साहु के नाम से 0.22 डी. लगान रसीद जारी है और इस प्लॉट में नरेन्द्र प्रसाद पिता अनन्त साहु का मकान वर्तमान में बना हुआ है। और दखल कब्जा में है। इसी प्लॉट 61 में रकबा 0.04 डी. में रामकिशोर साहु पिता सकल साहु का वर्तमान में घर मकान बना हुआ है। और उसका भी 0.04 डी0 लगान रसीद जारी है। बाकि 0.09 डी. बुढ़मू से हेन्दगीर पथ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिग्रहण किया गया है।

जबकि खाता नं.– 25 प्लॉट नं. 61 रकबा– 0.27 डी. में बलदेव साहु वो अनन्त साहु के नाम से 0.22 डी., रामकिशोर साहु के नाम से 0.04 डी. पंजी ॥ में लगान रसीद जारी है। और दखल कब्जा भी है।

जबकि पंजी ॥ में खाता नं.– 25 प्लॉट नं. 61 में बलराम साहु

Scanned with CamScanner

पिता डेगनारायण साहु के नाम से 0.03 डी. है। जो जमीन पर कही भी दखल नहीं है। और प्राथमिक विद्यालय आरा का प्लॉट 60 में 41 डीसमील मधे 0.04 डी0 भी पंजी ॥ में दिखा रहा है। जो कि जाँच का विषय है। एवं सुखसागर साहु पिता डेगनरायण साहु के नाम से पंजी ॥ एवं ऑनलाईन में खाता नं. 25 प्लॉट नं. 60 में 41 डी0, प्लॉट 61 में 27 डी0 गलत ढंग से जारी किया गया जबकि खाता 25 के सभी प्लॉट में किसी प्रकार का दखल कब्जा नहीं है सिर्फ कागज पर है।

खाता नं. 25 एवं 10 के सभी प्लॉट एवं कुल रकबा को अवैध ढंग से पंजी ॥ में एवं ऑनलाईन में आवेदक के पिता बलराम साहु पिता डेगनारायण साहु एवं चाचा सुखसागर साहु पिता डेगनारायण साहु खाता 10 का कुल रकबा 2.58 एकड़ एवं खाता नं. 25 के कुल रकबा 2.67 एकड़ को सुखसागर साहु लगान रसीद को जारी कराया गया है।

खाता नं. 25 का प्लॉट नं. 54, 53 एवं 59 का कुल रकबा 1. 99 एकड़ में पूर्वज द्वारा 1932 के पूर्व में आम का बगीचा लगाया गया है। जो जमा में पेड़ पौधा एवं भूमि का देखमाल शंकर साहु एवं जगरनाथ साहु वगैरह के वशंज द्वारा दखल कब्जा में है।

परन्तु सुखसागर साहु एवं बलराम साहु पिता डेगनारायण साहु के बाई हिस्सा बराबर बराबर के जगह पर पंजी ॥ एवं ऑनलाईन में खाता सं. 10 एवं 23 का कुल रकबा को अपने नाम से गलत ढंग से चढवा कर लगान रसीद जारी किया गया है। बाकि लोगो का हिस्सा को भी अपने नाम से पंजी ॥ एवं ऑनलाईन गलत ढंग कागज में खानापूर्ति करवा लिया गया है। वर्ष 2000 के बाद यह कुशलनाथ महतो कर्मचारी से मिलकर कार्य को अंजाम दिया गया है वर्ष 2000 के पूर्व मेनवल रसीद को मांग कर देखा जा सकता है। इससे पूर्व में इस खाता प्लॉट का रसीद जारी नहीं हुआ है।

अतः श्रीमान् से सादर निवेदन है कि सुखसागर साहु के पुत्र एवं बलराम साहु के पुत्र मनोज प्रसाद पिता सुखसागर साहु एवं ज्योतिन्द्र प्रसाद पिता बलराम साहु को भी उक्त खाता प्लॉट पर आपके कार्यालय के माध्यम से नोटिस तामिला कर जवाब मांगा जाए कि क्या बाकि हिस्सेदार को डीड कर दिया है। खाता सं.– 10 एवं खाता सं. 25 एवं 28 के डेगनारायण साहु के पुत्रो पर भूमि में उचित जाँच करते हुए उचित कार्रवाई करने की कृपा प्रदान करे इस कार्य हेतु हम लोग आपका आभारी रहेगें।

अभिलेख दिनांक– 17.07.2021 को रखें।

29/06/21

अंचल अधिकारी,
बुढ़मू राँची।

Scanned with CamSca

17/07/21 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष ने उपस्थित होकर लिखित हाजरी दी है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख आदेश में दिनांक 21.08.2021 को रखें।

17/07/2021

21.08.2021 अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि उक्त वाद में मांगे गये भूमि मौजा– आरा खाता सं.– 10, 25 एवं 28 का ऑनलाईन खतियान एवं पंजी II का विवरण निम्न प्रकार है:–

खाता 10– खतियान के अनुरूप खाता 10 बकास्त भूमि है। लगान पाने वाला शिवनारायण साहु खेवट नं.– 2/6 दर्ज है।

खाता सं.	प्लॉट सं.	रकबा
10	25	0.60 एकड़
10	51	0.38 एकड़
10	251	0.10 एकड़
10	389	0.65 एकड़
10	40	0.56 एकड़
10	276	0.29 एकड़
कुल		2.58 एकड़

पंजी II – पेज नं.– 17 भाग 1 में रैयत बलराम साहु पिता डेगनारायण साहु के नाम पर प्लॉट नं.– 25, 51, 251, 389, 40, 276 रकबा क्रमशः 0.60 ए., 0.38 ए., 0.10 ए., 0.65 ए., 0.56 ए., 0.29 ए., कुल रकबा– 2.58 एकड़ दर्ज है।

<u>खाता 25 का विवरण</u>

खतियान– खाता– 10 खतियान के अनुरूप खाता 10 बकास्त मालिक लगान पाने वाला समीलात मालिकान खेवट नं.– 3/8 दर्ज है।

खाता सं.	प्लॉट सं.	रकबा
25	54	1.15 एकड़
	60	0.41 एकड़
	53	0.62 एकड़
	59	0.22 एकड़
	61	0.27 एकड़
कुल		2.67 एकड़

पंजी II विवरण

पेज नं./ भाग	खाता सं.	प्लॉट सं.	रकबा	रैयत का नाम
	25	53	0.62 एकड़	सुखसागर साहु

Scanned with CamScanner

44/1		54	1.15 एकड़	पिता डेगनारायण साहु
		59	0.22 एकड़	
		60	0.41 एकड़	
		61	0.27 एकड़	
कुल			2.67 एकड़	

पंजी II विवरण

पेज नं./ भाग	खाता सं.	प्लॉट सं.	रकबा	रैयत का नाम
4/II	25	61	0.04 एकड़	राजकिशोर साहु पिता सकल साहु

<u>खाता 28 का विवरण</u>

खतियान– खाता– 28 खतियान के अनुरूप गैरमजरूआ मालिक लगान पाने वाला समीलात मालिकान खेवट नं.– 3/8 दर्ज है।

खाता सं.	प्लॉट सं.	रकबा	किस्म
28	636	0.60 एकड़	जंगलझाड़ी
	139	0.38 एकड़	–

पंजी II विवरण

पेज नं./ भाग	खाता सं.	प्लॉट सं.	रकबा	रैयत का नाम
48/I	28	636	0.30 एकड़	दशरथ महतो पिता फागु महतो

ऑफलाई/पंजी II विवरण

पेज नं./ भाग	मौजा	खाता सं.	प्लॉट सं.	रकबा	रैयत का नाम
17/I	आरा	10	51, 276	0.07½ एकड़ 0.06 एकड	रैयत बलराम साहु पिता डेगनारायण साहु
17/I	आरा	25	61	0.03 डीसमील	रैयत बलराम साहु पिता डेगनारायण साहु
17/I	आरा	28, 28	139, 636	0.13 एकड़ 0.86 एकड	रैयत बलराम साहु पिता

Scanned with CamSca

					डेगनारायण साहु
48/I	आरा	28	636	0.30 डीसमील	दशरथ महतो पिता फागु माझी

BDW. 21/08/21
अंचल अधिकारी,
बुढ़मू, रॉंची।

<u>आदेश</u>

07/09/21 उभय पक्ष को सुनने एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, राजस्व अभिलेखों के अवलोकन एवं राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि प्रश्नगत मामला हक एवं स्वामित्व से संबंधित है एवं इस पर इस न्यायालय के स्तर से आदेश पारित करना सम्भव नहीं है। आवेदक (प्रथम पक्ष) को सक्षम में वाद दायर करना चाहिए।

लेखापित एवं संशोधित।

BDW. 07/09/21
अंचल अधिकारी,
बुढ़मू, रॉंची।

BDW. 07/09/21
अंचल अधिकारी
बुढ़मू, रॉंची।

Digitally signed by SHANKAR KUMAR VIDYARTHY
Date: 2023.04.06 16:25:21 +05:30
Location: 192.168.71.153

Scanned with CamSca